न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 135/2000

प्रार्थीः—

1. तहसीलदार(भूमिधारक) पाली

बनाम अप्रार्थीः—

1. सोहनलाल पुत्र द्वारकादास कौम जैन साकिन चौहटन जिला बाड़मेर निवासी 440, बजरंग नगर पाली।
2. श्रीमति मांगीदेवी पत्नि सोहनलाल कौम जैन साकिन चौहटन जिला बाड़मेर हाल निवासी 440, बजरंग नगर पाली।
3. श्रीमति इन्द्रादेवी पत्नि हुकमीचन्द मेहता कौम जैन साकिन 58 महावीर नगर पाली।
4. श्री सन्दीपकुमार मेहता पुत्र श्री हुकमीचन्द मेहता कौम जैन साकिन 58 महावीर नगर पाली।
5. श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र केसरीमल लसौड़ कौम जैन साकिन 11 बी घरवाला जाव पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश दाधिच नायब तहसीलदार पाली(सरकारी पैरोकार)
2. श्री श्याम पंवारिया, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 व 4
3. श्री नंद किशोर, बंसल, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1101/1 रकबा 10 बिघा किस्म जमीन नहरी दोयम, जमाबन्दी 2064 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्टरी (अडान, हौद, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद् सीमा मे घनी आबादी के मध्य एवं लगती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि मे किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि, प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है एवं आस—पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। जिससे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

Rohit

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.17 18:24:40 IST
Reason: SelfAttested